


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री दीपक कुमार यादव पिता नकुल यादव निवासी ग्राम: चम्पानगर नवाडीह, थाना: इचाक, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) एवं वर्तमान पता ग्राम :- गाड़ीलॉग, थाना :- टंडवा जिला :- चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 98 & 191 के अधीन प्लॉट सं. 889, 1647, 755, 1340, 481, 482, 2202 & 2203; कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) जिला :- चतरा, खाता सं. 98 & 191 के अधीन प्लॉट सं. 889, 1647, 755, 1340, 481, 482, 2202 & 2203; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री दीपक कुमार यादव पिता नकुल यादव निवासी ग्राम: चम्पानगर नवाडीह, थाना: इचाक, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) एवं वर्तमान पता ग्राम:- गाड़ीलॉग, थाना:- टंडवा जिला:- चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विरेश कुमार  
03/08/2021



03/08/2021 13:57